



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-12/2025/डी- 7060

दिनांक 8/1/25

मैसर्स सूर्याश ब्रॉडर्स जरिये पार्टनर  
करण चौधरी एवं गोपाल चौधरी  
निवासी पंजीकृत कार्यालय 109, फस्ट फ्लोर,  
गांधी पथ वेस्ट, माँ हिंगलाज नगर, जयपुर राज.

विषय :- ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 925/764, 931/780, 768/534, 781/534, 908/757, 910/767, 912/773, 906/534 कुल किता 08 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर में आवासीय योजना सोलितर होम्स का अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 925/764, 931/780, 768/534, 781/534, 908/757, 910/767, 912/773, 906/534 कुल किता 08 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर में आवासीय योजना सोलितर होम्स आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 372वीं बैठक दिनांक 28.10.2024 को किया जा चुका है। अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्डों को जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर रहन मुक्त कराकर किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलग्न है।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena

Designation Deputy Commissioner

Date 2025-01-08 10:24:52 IST

Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर नगर, जयपुर  
दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 फ़ैक्स - +91-141-2574555

**PROPOSED LAY OUT PLAN OF  
"SOLITAIRE HOMES"**  
IN KHASRA NO.- 910/767, 908/757, 768/534, 925/764, 912/773, 781/534, 931/780, 906/534.  
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH:- JAIPUR, DIST:- JAIPUR.



ROAD 18.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT.

ROAD 9 MT.

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 12 MT.

ROAD 12.0 MT. WIDE

J.D.A APPROVED SCHEME  
"SHRISHTI VIHAR-1"

1490  
8  
26.12.24

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक



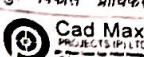
खसरा नम्बर 908/757 के अन्तर्गत 5 अंशों में  
आवृत्ति नम्बर 1 की दिशा में :-  
1. पूरा खसरा नम्बर 908/757 - 45  
2. पूरा खसरा नम्बर 908/757 - 45

**AREA ANALYSIS :-**

| S.No.            | LAND USED              | AREA IN (SQ.MTR.) | (%)      |
|------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1                | RESIDENTIAL            | 4953.77           | 58.28 %  |
| 2                | RETAIL SHOP<br>PARKING | 54.00<br>135.81   | 02.23 %  |
| TOTAL = (1+2)    |                        | 5,143.58          | 60.51 %  |
| 3                | PARK                   | 426.09            | 05.01 %  |
| 4                | S.W.M.                 | 50.09             | 0.59 %   |
| 5                | MOBILE TOWER           | 10.12             | 0.12 %   |
| 6                | PU (TOILET)            | 10.23             | 0.12 %   |
| 7                | ROAD                   | 2859.89           | 33.65 %  |
| TOTAL = (3 TO 7) |                        | 3,356.42          | 39.48 %  |
| SCHEME AREA      |                        | 8500.00           | 100.00 % |
|                  |                        | 0.8500 HECT.      |          |

आवृत्ति नम्बर 1 की सीमा की दूरी 10.12 मीटर है।  
आवृत्ति नम्बर 2 की सीमा की दूरी 10.23 मीटर है।  
आवृत्ति नम्बर 3 की सीमा की दूरी 10.12 मीटर है।  
आवृत्ति नम्बर 4 की सीमा की दूरी 10.23 मीटर है।  
आवृत्ति नम्बर 5 की सीमा की दूरी 10.12 मीटर है।  
आवृत्ति नम्बर 6 की सीमा की दूरी 10.23 मीटर है।  
आवृत्ति नम्बर 7 की सीमा की दूरी 10.12 मीटर है।

योजना का नाम :-  
"SOLITAIRE HOMES"  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर विकास प्राधिकरण



अनन्त राजस

योजना मानचित्र पर खसरा नम्बर 908/757 के अन्तर्गत 5 अंशों में आवृत्ति नम्बर 1 की दिशा में

नोट

- कार्पर के नक्शों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवृत्ति नम्बर 1 की 90° की कार्यवाही दिनांक 28.09.2023 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में राजपूत अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मी के पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आवासीय विकास के एवज में आवृत्ति नम्बर 1 के नक्शों के अन्तर्गत 5 अंशों के क्षेत्रफल 04.121 वर्गमीटर है। जो जयपुर में अनुमोदित योजना के 12.60 प्रतिशत क्षेत्रफल के बेटे रहन रखा गया है। नक्शों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुरू जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जायेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 372 वीं बैठक दिनांक 28.10.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का न-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत प्राणीय दर्जित है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवासीय दर्जित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किया जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के नक्शों पर पेशागिरि एवं जी.टी.सी. जयपुर (जयपुर रोजन नगर) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक  
जोन-12

तहसीलदार  
जोन-12

उपायुक्त  
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.  
305, Third Floor, Prime Tower,  
Front of Police Head Quarter,  
Lal Kothi Road, Jaipur  
Mobile No. 9819045031